P001

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–माध्य/संस्था/बी–1/45001/अधिशेष–पदस्थापन/प्र.अ./2018 दिनांक 30.05.2018 द्वारा श्री कमलेश कुमार, प्रधानाध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय मीम तलेटी, आबूरोड जिला सिरोही को काउन्सलिंग उपरान्त उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प पत्र के आधार पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय हिरोला, बाली जिला पाली पदस्थापित किया गया था जहां श्री कमलेश कुमार द्वारा दिनांक 04.07.2018 को कार्यग्रहण कर लिया गया।

श्री कमलेश कुमार द्वारा उक्त पदस्थापन आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 18519/2018 कमलेश कुमार बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.08.2018 द्वारा याचिकार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त आशय का अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में उसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश पारित करते हुए 4 सप्ताह के भीतर निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में परिवेदना की गई कि काउन्सलिंग दिनांक 30.05.2018 को सिरोही जिले में प्रधानाध्यापक के 11 पद रिक्त थे किन्तु काउन्सलिंग के समय केवल एक ही पद प्रदर्शित किया गया जिससे याचिकार्थी को रामावि–हिरोला, बाली जिला पाली हेतु अपनी सहमति देनी पड़ी। याचिकार्थी द्वारा स्वयं का पदस्थापन रामावि कोदरला, पिण्डवाडा, सिरोही अथवा विवेकानन्द रामावि सिरोही में प्रधानाध्यापक के किसी एक रिक्त पद पर किये जाने की मांग की गई।

याचिकार्थी श्री कमलेश कुमार के अभ्यावेदन का राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया व उनकी मांग पर विचार किया गया। काउन्सलिंग में रिक्तियों को विभागीय प्राथमिकता एवं प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर ही प्रदर्शित किया जाता है। याचिकार्थी से उच्च वरीयता धारित श्री हजाराम (क्रं.सं–241) को भी सिरोही जिले से बाहर पाली जिले में पदस्थापन मिला है। याचिकार्थी द्वारा धारित प्रधानाध्यापक एवं समकक्ष का पद राज्य सेवा का पद है और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय जगमोहन बनाम सरकार प्रकरण के अनुसार राज्य सेवा का पद धारित कार्मिक की सेवाऐं सरकार अथवा विभागाध्यक्ष (जोब चार्ट के अनुसार) राज्य हित/छात्र हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी लेने हेतु सक्षम हैं। इसी अनुरूप चाहा गया अनुतोष देय नहीं होने के कारण याचिकार्थी श्री कमलेश कुमार, प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय हिरोला, बाली जिला पाली का अभ्यावेदन एतदद्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी सम्बन्धित सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एस.बी.सिविल/18519/कमलेश/2018 दिनांकः 16.10.2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, पाली संभाग।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, पाली/सिरोही।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट, कंम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड हेतु।
7. सम्बन्धित कार्मिक को आदेश की पालनार्थ।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)